तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	मु.नं. 64/2024
07.10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में चाही गई बिन्दू संख्या 1 से 4 की पूर्ति वकील वादी द्वारा कर दिये जाने से वकील वादी ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर अन्तिम निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 14.10.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
14.10.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 17.10.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
17.10.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने अवगत कराया था कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 130 रकबा 4.9000 हैक्टर तन् ग्राम जोरावर नगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित है। जिसमें 1/4 हिस्सा की खातेदारी मृत्तका कमल कंवर पत्नी मूलसिंह के नाम दर्ज है। पत्रावली पर प्रस्तुत सजरा खानदान अनुसार नाथूसिंह के दो पुत्र संतान महेशदान सिंह व मूलसिंह पैदा हुये जिसमें मूलसिंह व उसकी पत्नी कमल कंवर नाऔलाद फौत हो चुके है एंव महेशदान सिंह के तीन पुत्र संतान हनुमान सिंह, [illegible] मदनसिंह पैदा हुये जिसमें उसका पुत्र हनु[illegible] नाऔलाद फौत हो चुके है एंव सायरसिंह अविवाहित [illegible] हो चुका है एंव कृषि [illegible] मृत्तका कमल कंवर पत्नी मूलसिंह के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 की भूमि पर वादी एक मात्र वारिस होकर काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी उक्त हिस्सा की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.16 13:29:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

मदन सिंह बनाम तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दावा 64/2024	

होने से वादी ने पटवारी हल्का व भूमिधारी को उक्त भूमि की खातेदारी दर्ज करवाने हेतु निवेदन किये जाने पर आदेश लाने हेतु कहे जाने पर दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वकील वादी ने दावा पेश कर तन् ग्राम जोरावर नगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खसरा नम्बर 130 रकबा 4.9000 हैक्टर में 1/4 हिस्सा की खातेदारी से मृत्तका कमल कंवर पत्नी मूलसिंह का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

वकील वादी के निवेदन पर वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध संलग्न दस्तावेजात् जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077, आधार कार्ड की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र हनुमान सिंह, कमल कॅवर, सायर सिंह, महेशदान सिंह, अंजन कॅवर, मिठू कॅवर के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियॉं, शपथ पत्र वादी व गवाहान् महावीर सिंह, सवाई सिंह, हनुमान सिंह, सुरज्ञान सिंह के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों की प्रतियॉं इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 130 रकबा 4.9000 हैक्टर तन् ग्राम जोरावर नगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित होकर 1/4 हिस्सा की खातेदारी से मृत्तका कमल कंवर पत्नी मूलसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। सजरा खानदान के अनुसार वादी के बुजुर्ग दादा/पिता नाथूसिंह के दो पुत्र संतान महेशदान सिंह व मूलसिंह तथा मूल सिंह की पत्नी कमल कॅवर नाऔलाद फौत होना एंव महेशदानसिंह के तीन पुत्र संतान हनुमान सिंह, सायर सिंह, मदनसिंह पैदा होना तथा उसका पुत्र हनुमान सिंह व एसकी पत्नी मिठू कंवर नाऔलाद एंव सायरसिंह के अविवाहित फौत होना प्रकट होता है। मृत्तका कमल कंवर पत्नि मूलसिंह के नाऔलाद फौत होने पर उसके नाम दर्ज भूमि के 1/4 हिस्सा का एकमात्र वारिस सजरा खानदान के अनुसार वादी का होना व वादी की माता का फौत होना तथा वादी के कोई बहन या बुआ नहीं होना वादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। वादी के पूर्वज वारिसान् मृत्तकों की मृत्यु होना वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.16 13:29:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्रों की फोटोप्रतियों से प्रकट होता है। इस प्रकार वादपत्र में अंकित तथ्यों के प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्रों तथा वादी व गवाहान के प्रस्तुत शपथ पत्रों के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने से वादपत्र को डिक्री किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुकूल होना सिद्ध होता है।

:– कियात्मक आदेश –:

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र को डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तन् ग्राम जोरावर नगर पटवार हल्का जोरावर नगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 130 रकबा 4.90 हैक्टर में 1/4 हिस्सा की खातेदारी से मृत्तका कमल कंवर पत्नी मूल सिंह का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार दुरूस्ती किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.16 13:29:34 IST
Reason: SelfAttested